

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ ५२ /2020

दिनांक : 15.02.2020

श्रीमती रैना शर्मा (R.J0502), अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को दिनांक 24.02.2020 से 29.02.2020 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 एवं 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (R.J0645), उपनिदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को श्रीमती रैना शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/58/2005/ 1170

दिनांक : 15.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक 23 दिनांक 30.01.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रैना शर्मा (R.J0502), अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
5. श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (R.J0645), उपनिदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
6. उपनिदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


15-2-2020
सहायक रजिस्ट्रार